अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2017 अनवानी श्री गणपतलाल, एक्स जुनियर वारंट ऑफिसर, इण्डियन एयर फोर्स, बी–63 सरस्वती नगर, बासनी प्रथम, पोस्ट के.एम.बी. कोठी, जोधपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27–12–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गणपतलाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार श्रीविजयनगर उपस्थित नही है। तहसीलदार श्रीविजयनगर का प्रतिवेदन संख्या 426 दिनांक 21.11.2017 शामिल पत्रावली किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गणपतलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार श्रीविजयनगर से निम्न सूचनां चाही थीः–

> वर्ष 1974 में मिसरू पुत्र बुधाराम हरिजन निवासी चक 7 एलसी में मुरब्बा/खसरा न0 151/343 में 24.10 साढ़े चौबीस बीघा भूमि आवंटित की गई। इसी भूमि संबंधित चाही गई सम्पूर्ण (आर) सम्पूर्ण पत्रावलियों को सत्यापित कर कार्यालय छाप/मोहर हस्ताक्षर मय पक्की छाया प्रतियां उपलब्ध करावें (एक बार और) उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.07.2017 के आवेदन पत्र से लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार श्रीविजयनगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 426 दिनांक 21.11.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी गणपतलाल का सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 28.08.17 को प्राप्त हुआ था। ग्राम 7 एलसी से संबंधित सूचना होने के कारण उनके द्वारा नायब तहसीलदार जैतसर को पत्र सं0 282 दिनांक 01.09.17 द्वारा प्रेषित किया गया। उपतहसीलदार जैतसर द्वारा पत्र सं0 806 दिनांक 27.09.17 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि ग्राम 7 एलसी तो तहसील क्षेत्राधिकार में है परन्तु मु0न0 151/343 तहसील क्षेत्राधिकार में नही है इसलिए सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है।

उप तहसीलदार जैतसर द्वारा अपने पत्र सं0 806 दिनांक 27.09.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

> आप द्वारा चक 7 एलसी में मुरब्बा/खसरा न0 151/343 में 24.10 साढ़े चौबीस बीघा की सूचना चाही गयी है। 7 एलसी में 151/343 मु0न0 नही है। अतः निवेदन है कि सही मु0न0 से अवगत करावें। उक्त मु0न0 151/343 तहसील रायसिंहनगर क्षेत्र में हो सकता है। ग्राम 7 एलसी के उतर में ग्राम 4 एमएसडी है जो तहसील रायसिंहनगर में है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चक 7 एल सी के मुरब्बा न0/खसरा न0 151/343 की 24.10 साढ़े चौबीस बीधा भूमि से संबंधित समस्त आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां चाही है। उपतहसीलदार, जैतसर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार चक 7 एलसी में मु0न0 151/343 नही है जिस कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है और सही मुरब्बा नम्बर से अवगत करवाने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चक 7 एलसी के जिस मु0न0 से संबंधित सूचना चाही है वह चक 7 एलसी में नही होने के कारण उपतहसीलदार जैतसर द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। इस प्रकार उप तहसीलदार जैतसर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 27.09.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर व उपतहसीलदार, जैतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2253-55
02.01.18

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर